न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :- 5 / 13 दायरा दिनांक 29.10.2013

जलन्धर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 60 एफ रूप नगर त.श्रीकरणपुर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत, रूप नगर तहसील श्री करणपुर
2. जरनैल सिंह पुत्र श्री मेहरसिंह के उत्तराधिकारीगण

2.1 सुखदेवसिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह

2.2 गुरदीपसिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह

2.3 बलवन्त कौर पत्नी श्री जरनैल सिंह

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रूप नगर दिनांक 16.12.1982

उपस्थित:-

1. श्री शिव प्रकाश कालड़ा एडवोकेट..........निगरानी कर्ता की ओर से
2. श्री जीतपाल सिंह सैनी एडवोकेट......... गैर निगरानी कर्तागण की ओर से

।। निर्णय ।। दिनांक 26/6/18

1. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानी कर्ता द्वारा निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत रूप नगर दिनांक 16.12.1982 इस आशय की पेश की गई कि निगरानी कर्ता ग्राम पंचायत रूप नगर का वारिन्दा है। भूखण्ड संख्या 249 निगरानी कर्ता के पिता के नाम से है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को भूखण्ड संख्या 289 व 290 के आगे जो सार्वजनिक गली के उपयोग की जगह थी को आवंटित का दिया। सार्वजनिक गली आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इस्तदुआ की गई कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.1982 को सार्वजनिक उपयोग की गली 16 गुणा 128 फुट का निशुल्क आवंटन जो अप्रार्थी संख्या 2 को किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।
2. निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी के वारिसान को सुनवाई हेतु तलब किया गया जिनकी ओर से श्री जीतपाल सिंह एडवोकेट उप0 हैं। संबंधित रेकार्ड मंगाया गया।
3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। निगरानी कर्ता का बहस में कथन है कि सुयोग्य अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध किया गया आदेश दिनांक 16.12.1982 जो सार्वजनिक उपयोग की गली 16 गुणा 128 फुट का निशुल्क आवंटन जो अप्रार्थी संख्या 2 को किया गया है गली आम का आवंटन नहीं किया जा सकता। निगरानी स्वीकार की जावे।
4. सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि निगरानीकर्तागण द्वारा जिस स्थान को गली बताया है वह गली नहीं है। कार्यवाही चुनावी रंजिश की वजह से की गई है। आवंटन सही किया गया है।
5. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत रूप नगर रूप नगर द्वारा आहाता संख्या 289 व 290 के आगे उत्तर दिशा में 16 गुणा 128 फीट जगह भूमि जरनैल सिंह को आवंटित किया गया है। प्रस्तुत पट्टा की पुश्त पर बनाये गये नक्शा के अनुसार 16 गुणा 128 फीट गली होना दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि गली की भूमि को आवंटित किया गया है। कानूनन सार्वजनिक गली का आवंटन नहीं किया जा सकता।
6. अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे।
7. पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।
8. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

Scanned by CamScanner